न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :— 5/2014

दायर दिनांक—28.3.2014

फैसल दिनांक—28.3.18

दीनबन्धु डेण्डोर पिता जगन्नाथ डेण्डोर निवासी मडकोला तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1—श्री गौरीशंकर पिता जगन्नाथ डेण्डोर निवासी मडकोला

2—श्रीमती हेमलता पत्नि रमेशचन्द्र डेण्डोर निवासी मडकोला

3— श्रीमती जयन्ति देवी पत्नि गजेन्द्रजी बामणिया निवासी वासेला तहसील सागवाडा

4— श्रीमान प्रबन्धक /मैनेजर बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा गामडाबामणिया

5—राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी — श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

वकील प्रतिवादी— श्री आजाद शाह

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209,राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत बंटवारा चाहने,घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित पीढीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 आपस में सगे भाई है ।प्रतिवादी नं0 2 वादी के सगे भाई स्व0 रमेशचन्द्र की पत्नि है । प्रतिवादिया नं0 3 जयन्तिदेवी बहन है । वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजीयात मोजा मडकोला पटवार हल्का गोवाडी के जमाबन्दी संवत 2069 के वर्तमान खाता नम्बर 62/47 में कुल खेत 18 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है एवं उक्त खाते की समस्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्षों पूर्व मौखिक बंटवारा हो पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं काश्त में है। उक्त मौखिक बंटवारे से प्राप्त जमीन पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 हमेशा असन्तुष्ट रहते है तथा आये दिन वे जमीन हथियाने हेतु वादी को तंग एवं परेशान करते रहते ह । एक ही खाता होने से वादी को अपने हिस्से में प्राप्त जमीन को उन्नत एवं समतल करने में हमेशा डर रहता है । जमीन शामलाती होने से वादी को जमीन समतल करने ,सिंचाई हेतु बोर खुदवाने एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि में परेशानी का सामना करना पडता है । वादी अपने हक एवं हिस्से में आई आराजीयात पर उन्नत बागवानी एवं फलदार पौधों की बाडी लगाना चाहता है लेकिन खाता

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

शामलाती होने एवं वैद्य बंटवारा नही होने से वादी का उक्त कार्य रूका हुआ है । विवादित आराजीयात वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता स्व 0जगन्नाथ की चार सन्ताने होने से खाते में चारों सगे भाई बहन का बराबर बराबर हिस्सा है लेकिन राजस्व खाते मं इसका सही इन्द्राज नही है कि कौन सहखातेदार कितनी जमीन का मालिक है। यह कि स्व0 पिता जगन्नाथ के उक्त खाते में दर्ज समस्त आराजीयात 10 बीघा 16 बिस्वा में से वादी का हिस्सा 1/4 एवं शेष प्रतिवादीगण 1 ,2, व 3 का 3/4 हिस्सा आता है। जिनका बंटवारा करके वादी एंव प्रतिवादीगण का अलग अलग खाता राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना अति आवश्यक है।

वाद के अन्त में वादी ने मोजा मडकोला पटवार हल्का गोवाडी के खाता नं0 62नया एवं 47 पुराना के कुल खेत नंग 18 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा जमीन का बंटवारा करके वादी का 1/4 हिस्सा अलग खाता करने एवं शेष 3/4 हिस्से की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं 3 के बीच बराबर बराबर हिस्से में बंटवारा किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक हिस्से ,कब्जे एवं काश्त की जमीन के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें ,वादी की जमीन छीनने,हडपने ,अतिकमण ,दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करने ,वादी को बेदखल नहीं करने न कराने एवं दोराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादीके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात में अतिकमण कर लेते हैं तो उसका कब्जा वादी को दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

वादी की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी खतोनी मोजा मडकोला संवत 2069—72 पेश की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया । प्रतिवादी संख्या 1,3,4 बावजूद सूचना दिनांक 14.10.14 को अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब में सभी खातेदारों का संयुक्त खाता होना तथा जमीन का कभी मोखिक बंटवारा नही होना बताते हुए वादी बंटवारे के बहाने मुख्य सडक के नजदीक के किमती खेतों को हडपना चाहना ,वादी एवं अन्य प्रतिवादीगणों ने प्रतिवादी संख्या 2 के स्व0पति की बिना जानकारी उनका हिस्सा बैंक में रहन रखना बताया गया है । प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब में पक्षकारान के मध्य विधिवत बराबर बराबर एवं मौके की कीमती जमीनों का सभी में समान बटवारा होने पर कोई आपत्ति नही होना बताया गया है । प्रतिवादी संख्या 4 ने भी अपने जवाब में प्रतिवादी संख्या 2 हेमलता के पति रमेशचन्द्र के नाम से उनकी शाखा में ऋण खाता होना बताते हुए संदर्भित ऋण खाता दिनांक 4.11.2011 को बन्द हो जाने से वारिसान बाबत कोई देयता शेष नहीं होने से वाद के निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
भागवाड़ा

जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

तनकी संख्या 1 :– आया मौजा मडकोला पटवार हल्का गोवाडी के खाता नं0 62 नया एवं 47 पुराना के कुल खेत नंग 18रकबा 10बीघा 16बिस्वा भूमि का सह खातेदार कृषक है अतः वादी अपना 1/4 हिस्सा का अलग खाता दर्ज करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

तनकी संख्या 2 :– आया वादी मौजा मडकोला के खाता नम्बर 62/47 में से अपने हिस्से कब्जे एवं काश्त की भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है?(वादी)

तनकी संख्या 3 :– आया वादग्रस्त भूमि का खातेदारों में कभी कोई मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है ,सभी खातेदार संयुक्त खातेदार है? (प्रतिवादी)

उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में वादी स्वयं के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसने अपने बयान में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जिरह में कहा है कि अपने अपने खेत सब कमा रहे हैं ,लिखित में कोई बंटवारा नहीं होना ,विवादित आराजीयात में से कुछ खेत रेाडके समीप एवं कुछ खेत अन्दर की तरफ होना , मौखिक बंटवारा कब हुआ इसका पता नहीं होना बताते हुए नकल जमाबन्दी प्रदर्श –1 की पेश करना बताया है ।

प्रतिवादी की ओर से हेमलता प्रतिवादी संख्या 2 डी0डब्लू0 1 ने वाद पत्र में प्रस्तुत अपने जवाब की पुष्टि करते हुए जिरह में उसकी जमीन का खाता नम्बर खसरा नम्बर याद नही होना ,स्व0 जगन्नाथजी ससूर होना तथा उनके तीन लडके गौरीशंकर,रमेशचन्द्र ,दिनबन्धु एवं जयन्ति देवी ननद होना बताते हुए जमीन का बंटवारा नहीं होना ,बंटवारे से कोई आपत्ति नहीं होना बताया है । गवाह खेमजी पिता नाथूजी डेण्डोर डी0डब्लू02 ने स्व0 जगन्नाथ उनके बडे भाई होना ,विवादित जमीन का तीनो भाईयों में आपस में बंटवारा होजाना लेकिन खाता शामिल होने से आपस में मन मुटाव होना बताते हुए बंटवारा किया जाना आवश्यक होना बताया है ।

वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने से वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रदर्श –1 नकल जमाबन्दी की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि मौजा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

मडकोला की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 62 में खातेदारान के स्थान पर जरिये नामान्तरकरण श्री जगन्नाथ के वारिसान गौरीशकर,रमेशचन्द्र,दिनबन्धु,जयन्तिदेवी हि0ब0खातेदार दर्ज है। वकील वादी ने अपनी बहस में विवादित भूमि पैतृक होना ,पूर्व में मोखिक बंटवारा होना एवं सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से पर काश्त व उपयोग उपभोग करना बताते हुए वादी अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने एवं सुधार किये जाने हेतु प्रथक खाता खूलवाने का अधिकारी होने से विधिवत बंटवारा किया जाकर प्रथक खाता खोलने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन करते हुए बहस समाप्त की गई ।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खेतों की स्थिति व किमत अनुसार बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया है । दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें स्व0 रमेशचन्द्र के नाम से पूर्व में उनकी शाखा में ऋण था लेकिन ऋण खाता 4.11.2011 को बन्द हो जाना एवं कोई देयता शेष नहीं होना बताते हुए वाद निस्तारण बाबत कोई आपत्ति नहीं होना बताया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1 :– आया मौजा मडकोला पटवार हल्का गोवाडी के खाता नं0 62 नया एवं 47 पुराना के कुल खेत नंग 18रकबा 10बीघा 16बिस्वा भूमि का सह खातेदार कृषक है अतः वादी अपना 1/4 हिस्सा का अलग खाता दर्ज क्रवाने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी को है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2069–72 मौजा मडकोला में खता संख्या 62 में वादी दिनबंधु सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त खाते की भूमि पैतृक होकर वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ के फौत हो जाने पर जगन्नाथ की चार संताने होने से खाते में चारों सगे भाई बहन का बराबर बराबर हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा होने से वादी अपना प्रथक खाता कायम कराने का अधिकारी है । प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने जवाब में पक्षकारान के माध्य विधिवत बराबर बराबर एवं मौके की कीमती जमीनों का सभी में समान बंटवारा होने पर कोई आपत्ति नही होना बताया है । चूँकि वादी वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 62 का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है अतः वादी अपना 1/4 हिस्सा का अलग खाता दर्ज करवाने का अधिकारी है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

तनकी संख्या 2 :– आया वादी मौजा मडकोला के खाता नम्बर 62/47 में से अपने हिस्से कब्जे एवं काश्त की भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । चूँकि तनकी नंबर एक के विवेचन अनुसार वादी वादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज रेकार्ड है एवं वादी द्वारा पैतृक भूमि होकर इसका मोखिक बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त करना बताया गया है । प्रतिवादीगण ने भी बंटवारे से कोई आपत्ति नही होना बताया है । अतः वादी अपने हिस्से कब्जे एंव काश्त की भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होने से यह तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 :– आया वादग्रस्त भूमि का खातेदारों में कभी कोई मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है ,सभी खातेदार संयुक्त खातेदार है? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । वादी द्वारा वाद एवं बयानात में वादग्रस्त आराजीयात का मोखिक बंटवारा हो जाना तथा बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग करना बताया है । प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब में यह बताया है कि वादग्रस्त आराजीयात का संयुक्त खाता होना ,मोके पर बंटवारा नही होना बताते हुए बंटवारे से सहमती दी है लेकिन बंटवारा नहीं होने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है । प्रतिवादी संख्या 1 ,3,4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश है । जिससे यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात का मोके पर मोखिक बंटवारा हुआ है एवं पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त उपयोग उपभोग कर रहे है । वाद ग्रस्त आराजीयात संयुक्त खाते की होने से यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 से 3 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित होने से दिनांक 17.2.2016 को वाद वादी स्वीकार एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिये गये कि मौजा मडकोला के खाता संख्या 62 जमाबन्दी सं0 2069–72 के खेत किता 18 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का 3/4 हिस्से का बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्षें के तीन प्रति में प्रस्तुत करें ।

तहसीलदार सागवाडा के पत्र संख्या राजस्व/2016/380 दिनांक 6.9.20216के द्वारा निम्नानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई –

1– गोरीशंकर ,जयन्तिदेवी पिता जगन्नाथ ,राहुल पिंकी साधना पिता रमेशचन्द्र हेमलता बेवा

रमेशचन्द्र 3/4 हिब

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	8	0.06	सी0 II
2	155	0.07	सी0 I
3	354	0.13	सी0 II
4	600	0.02	सी0 II
5	602	0.12	सु. II
6	604	0.01	सु. II
7	856/353	0.15	सु. III
8	857/599	1.13	सु. III
9	858/763	0.07	सु. III
10	113/1	0.06	सु. III
11	22/1	0.12	चाही I
12	374/1	0.19	सी. I बीड
13	381/1	0.06	म0बीड
14	382/1	0.06	म0बीड
15	65/1	0.01	सी0 I
16	761/1	0.06	सु. I
17	762/1	0.06	सु. I
18	80/1	0.02	सी0 I

2– दिनबन्धु पिता जगन्नाथ मीणा 1/4 हिब

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	8	0.02	सी0 II
2	155/1	0.03	सी0 I
3	354/1	0.04	सी0 II
4	600/1	0.01	सी0 II
5	602/1	0.04	सु. II
6	604/1	0.01	सु. II
7	856/353/1	0.05	सु. III
8	857/599/1	1.11	सु. III
9	858/763/1	0.03	सु. III
10	113/2	0.02	सु. III
11	22/2	0.04	चाही I
12	374/1/2	0.06	सी. I बीड
13	381/1/2	0.03	म0बीड
14	382/1/2	0.02	म0बीड
15	65/1/2	0.01	सी0 I

उपखण्ड अधिकारी
मांगवाड़ा

16	761/1/2	0.02	सु. ।
17	762/1/2	0.01	सु. ।
18	80/1/2	0.01	सी0 ।

उपरोक्तानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रतिवादिया संख्या 2 द्धारा जरिये अभिभाषक बंटवारा रिपोर्ट से आपत्ति कर एक तरफा बंटवारा किया जाना बताया । इससम्बन्ध में तहसीलदार को पक्षकारान के रूबरू पुनः बंटवारा हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सागवाडा के पत्र संख्या 508 दिनांक12.9.2017 से रिपोर्ट मय पर्चा मोका के प्राप्त हुई जिसके अनुसार सहखातेदार जयन्ति देवी पुत्री जगन्नाथ द्धारा वाद ग्रस्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा होने का उल्लेख करते हुए मौके पर तीनो भाईयों द्धारा बंटवारा कर काश्त की जाने से जिससे उक्त भूमि में वह अपना हिस्सा तीनो भाईयों के पक्ष में छोड देना चाहती है एवं सहखातेदार हेमलता के द्धारा बंटवारे के साथ उनका हिस्सा अलग अलग खाते दर्ज करने का निवेदन किया गया है ।

तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के कम में वकील प्रतिवादी संख्या 2 को जयन्तिदेवी द्धारा तीनो भाईयों के हक में रिलीज डीड सम्पादित कराने आदेश दिए गए जिसकी पालना नहीं की जाने से तहसीलदार सागवाडा के द्धारा पूर्व में प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार वाद में कार्यवाही की जाने आदेश दिए गए ।

अतः वादवादी अन्तिम डिकी किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ठ – अ अनुसार पक्षकारान के मध्य रेकार्ड में अमल दरामद किए जाने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिए जाते है । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ – अ निर्णय एंव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.3.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा